



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-23032023-244626
CG-RJ-E-23032023-244626

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1347]
No. 1347]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 23, 2023/चैत्र 2, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 23, 2023/CHAITRA 2, 1945

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

जयपुर, 15 मार्च, 2023

का.आ. 1400(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989 की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में यथाउल्लिखित परियोजना को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजनाओं के रूप में अधिसूचित करती है

सारणी

क्रम सं. (1)	परियोजना का नाम (2)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (3)
1.	भिवानी – दोभ बहाली दोहरीकरण परियोजना (42.30 कि.मी.)	हरियाणा

[फा. सं. उपरे/मुख्यालय/सं.& नि./443599200 भाग-2)]

वेद प्रकाश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAY**[North Western Railway (Construction)]****NOTIFICATION**

Jaipur, the 15th March, 2023

S.O. 1400(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37 A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following projects as special railway project, as mentioned in column (2) of the table, with effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

TABLE**Special Railway Project**

Sl. No.	Name of Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1.	Doubling between Bhiwani- Dobh Bahali (42.30 KM)	Haryana

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200Vol-2]

VED PRAKASH, Chief Administrative Officer (Construction)